कार्यालय, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी–थराली जनपद–चमोली,
उत्तराखण्ड–246482
E-mail : gdctalwari@yahoo.com
Website : www.gdctalwari.org

शिकायत निवारण समिति (महिला प्रकोष्ठ)

आज दिनांक 04 सितम्बर 2021 राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी,चमोली में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु व उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार इस संस्थान में भी महिला कर्मियों एवं छात्राओं के हितों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन हेतु एक शिकायत निवारण समिति (महिला प्रकोष्ठ) का गठन किया गया. जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष एवं सदस्यो का चयन किया गया।

क्र0सं0	नाम	समिति हेतु चयन पद	हस्ताक्षर
1	डॉ0योगेन्द्र चन्द्र सिंह प्राचार्य	संरक्षक राज0 महा0 तलवाड़ी चमोली	
2	श्रीमती दीपा देवी ग्राम प्रधान तलवाड़ी,चमोली	अध्यक्षा	Deepa
3	डॉ0 प्रतिभा आर्य सहा0प्रा0	सदस्या	
4	डॉ0 नीतू पाण्डे सहा0प्रा0	सदस्या	Neetu Pandey
5	डॉ0 पुष्पा रानी सहा0 प्रा0	सदस्या	Pushpa Rani
6	श्रीमती दीपा रावत अनुसेवक	सदस्या	दीपा

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
तलवाड़ी,चमोली।

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी
–थराली जनपद–चमोली ,उत्तराखण्ड–246482
E-mail : gdctalwari@yahoo.com
Website : www.gdctalwari.org

राष्ट्रीय महिला आयोग

कार्यस्थल हेतु आधार संहिता

यौन उत्पीड़न एक ऐसा गम्भीर अपराध है, जो मानव की गरिमा और स्वतन्त्रता पर अघात कर सकता है। अतः कार्यस्थल पर सभी महिला कर्मियों के हितों की रक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित आचार संहिता निर्धारित की गयी है।

1. कार्यस्थल पर किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न को रोकने का दायित्व नियोक्ता का होगा।

2. यौन उत्पीड़न में ऐसा अवॉछनीय व्यवहार सम्मिलित है जो किसी व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अथवा किसी प्राधिकारी या प्रत्यक्ष रूप से अथवा निहतार्थ भाव से यौन इच्छा से प्रेरित होकर किया जाए, जैसे :--
   - महिलाओं के साथ छेड़छाड़।
   - अश्लील टिप्पणियां।
   - भद्दे मजाक, जो कठिनाई में डालने वाले हों।
   - अश्लील संकेत अथवा व्यंग्य।
   - नारी जाति के प्रति अपमानजनक यौनरंजित टिप्पणियां।
   - किसी भी प्रकार के अवांछनीय यौन व्यंग्य, जैसे –टेलीफोन पर आपत्तिजक अश्लील बातें करना।
   - शरीर के किसी अंग को स्पर्श करना और इस प्रकार की अन्य कुचेष्टाएं।
   - अश्लील अथवा अन्य आपत्तिजनक या अपमानजनक तस्वीरें, कार्टून, पुस्तिकाएं अथवा कहावतों का प्रदर्शन करना ।
   - जबरदस्ती शारीरिक स्पर्श अथवा छेड़छाड़।
   - किसी को उसकी मर्जी के बिना रोकना अथवा बन्दी बनाकर रखना तथा ऐसा कोई अन्य कार्य करना, जिससे किसी की एकान्तता भंग होती हो ।

इसमें किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसा कोई कार्य अथवा आचरण भी शामिल है, जो रोजगार में तरक्की के अवसरों को बाधित करें अथवा कार्यस्थल पर वातावरण विद्वेषपूर्ण बनाऐं अथवा लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को डराया धमकाया जाये ।

नोट :– 1. उक्त आचार संहिता संस्थान की महिला कर्मियों एवं छात्राओं पर लागू होगी।

2.समस्त अध्यापकों एवं शिक्षेणत्तर कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त आचार संहिता का अनुपालन करें।